



सत्यमेव जयते

भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य)
Ministry of Environment, Forest and Climate Change
Regional Office (Central Region)



केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ-226024

Kendriya Bhawan, 5th Floor, Sector-H, Aliganj, Lucknow- 226024, Telefax: 2326696, 2324340, 2324047, 2324025
Email: (Env.) m_env@rediffmail.com, (Forest) goimoeffolk@gmail.com

पत्र सं० 8बी/यू.पी./04/22/2018/एफ.सी/508

दिनांक: 19.11.2018

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी (वन संरक्षण),
वन विभाग, 17 राणा प्रताप मार्ग,
लखनऊ, उ० प्र०।

ONLINE PROPOSAL NO. FP/UP/TRANS/31506/2016

विषय : 765 के०वी० डबल सर्किट उरई-अलीगढ़ पारिषण लाईन के निर्माण हेतु हाथरस में 1.0082 हे० संरक्षित वनभूमि एवं उस पर अवस्थित 11 वृक्षों के पातन, अलीगढ़ में 0.6595 हे० संरक्षित वनभूमि एवं उस पर अवस्थित 46 वृक्षों व 280 पौधों के पातन कुल 1.6677 हे० संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 337 वृक्षों/पौधों के पातन की अनुमति के संबंध में।

सन्दर्भ:- पत्रांक सं० 935/ऊरई-अलीगढ़ लाईन(1.6677 हे०)/31506/2016, लखनऊ, दिनांक 01.11.2018.

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय पर मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश की पत्र संख्या-2543/ऊरई-अलीगढ़ लाईन/(समेकित-1.6677 हे०)/31506/2018, दिनांक-27.02.2018 का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा राज्य सरकार ने विषयांकित प्रस्ताव पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत भारत सरकार की स्वीकृति मांगी थी।

विषयांकित प्रकरण में इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक-23.03.2018 द्वारा आवश्यक सूचना चाही गयी थी जिसकी अनुपालना मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, उ० प्र० के पत्रांक सं० 935/ऊरई-अलीगढ़ लाईन (1.6677 हे०)/31506/2016, लखनऊ, दिनांक 01.11.2018 द्वारा प्रस्तुत की गयी है। प्रस्तुत अनुपालना पर विचारोपरान्त मुझे आपको यह सूचित करने निर्देश हुआ है कि केन्द्र सरकार 765 के०वी० डबल सर्किट उरई-अलीगढ़ पारिषण लाईन के निर्माण हेतु हाथरस में 1.0082 हे० संरक्षित वनभूमि एवं उस पर अवस्थित 11 वृक्षों के पातन, अलीगढ़ में 0.6595 हे० संरक्षित वनभूमि एवं उस पर अवस्थित 46 वृक्षों व 280 पौधों के पातन कुल 1.6677 हे० संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 337 वृक्षों/पौधों के पातन की सैद्धान्तिक स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करती है:-

1. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रभावित वन भूमि के दुगुने अवनत वन भूमि (1.6677 x 2 = 3.3354 ha.) अर्थात् 3.3354 हे० पर वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) कैम्पा, नई दिल्ली में जमा की जाएगी।
2. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा पारिषण लाईन के नीचे प्रस्तावित वन भूमि में बोने पौधों (मुख्यतः औषधीय पौधे) के रोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) कैम्पा, नई दिल्ली में जमा की जाएगी।
3. (क) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई०ए० संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ०सी० दिनांक 05.02.2009 के तहत में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि कैम्पा, नई दिल्ली में जमा की जायेगी।

- (ख) इसके उपरान्त जमा की गयी धनराशि की ऑनलाईन ई-रसीद की छायाप्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या (जिसमें जमा की गयी धनराशि का मदवार विवरण अर्थात् क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु, पारेषण लाईन के नीचे बौने पौधों के वृक्षारोपण हेतु एवं एनपीवी की जमा धनराशि का विवरण दिया गया हो) प्रेषित की जाए, तदोपरान्त ही विधिवत् स्वीकृति पर विचार किया जाएगा।
- (ग) प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र (सक्षम स्तर द्वारा) प्रस्तुत करेंगे कि यदि एन.पी.वी. की दर में बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जाएगी।
4. पारेषण लाईन के ROW की अधिकतम चौड़ाई 67 मीटर तक सीमित रहेगी।
 5. विधिवत् स्वीकृति जारी होने के बाद प्रस्तावित वन क्षेत्र का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर किया जायेगा। अक्षांश एवं देशान्तर भी मानचित्र एवं पीलर पर दर्शाया जायेगा और वन क्षेत्र में लगे प्रत्येक स्तम्भ के आगे (forward) एवं पीछे (backward) उनकी दिशा (bearing) भी लिखनी होगी।
 6. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मक डिस्पोजल योजना प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा स्वीकृत कराकर इस कार्यालय को प्रेषित की जायेगी
 7. प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार वर्तमान तथा भविष्य में लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगी।
 8. सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना प्रेषित करते हुए संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी प्रकरण में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के उल्लंघन के विषय में सूचना/प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे।
 9. प्रकरण में आवश्यकतानुसार कार्यानुमति देने के लिए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र-11-306/2014-एफ0सी0(pt.), दिनांक-28.08.2015 द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित शर्तों के अनुपालनार्थ के निर्गत दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

उपरोक्त सभी शर्तों के परिपूर्ण एवं बिन्दुवार सुस्पष्ट परिपालन आख्या इस कार्यालय के पत्र-II/FC/ROC/95-2011/Part-V/1227 दिनांक- 02 फरवरी, 2016 के अनुसार प्राप्त होने पर ही वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत विधिवत् स्वीकृति जारी की जायेगी।

भवदीय,

(के0के0 तिवारी)
वन संरक्षक(के.)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. अतिरिक्त वनमहानिदेशक एफ.सी., पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, नयी दिल्ली-110003.
2. निदेशक (आर0ओ0एच0क्यू0) पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, नयी दिल्ली-110003.
3. प्रमुख सचिव (वन), उत्तर प्रदेश शासन, वन एवं वन्यजीव अनुभाग-2, लखनऊ।
4. वन संरक्षक, अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।
5. प्रभागीय वनाधिकारी/निदेशक, अलीगढ़ एवं हाथरस।
6. उप महाप्रबन्धक, पावरग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि0, अलीगढ़।
7. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु प्रेषित।
8. आदेश पत्रावली।

(के0के0 तिवारी)
वन संरक्षक(के.)